प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा |

184-हिण्डोली विधानसभा सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री अशोक

गुजरों का मोहल्ला, श्योपुरिया की बावड़ी, बूंदी जिला बूंदी (राजस्थान)

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किये गये है |

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गये हैं |

स्थान : बूंदी

दिनांक: 03.12.2023

(कुलदीप सिंह शेखावत) रिटर्निंग अधिकारी (खुलदीप सिंह जोसीयत)

W

रिटर्निंग ऑफिसर (184) **डिण्डो**सी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उप**राज्ड अधि**कारी एवं उपराण्ड मजिस्ट्रेट डिण्डोस्ब्रे

FORM 21C

(See rule 64)

· (For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of **RAJASTHAN** State from the **184-HINDOLI** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SHRI ASHOK

GUJARON KA MOHALLA, SHYOPURIYA KI BAWARI, BUNDI DIST. BUNDI (RAJASTHAN)

sponsored by **INDIAN NATIONAL CONGRESS** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: BUNDI

Date: 03.12.2023

(Kuldeep Singh Shekhawat)
Returning Officer
(184) Hindoligesambly of postituency
(Sub Divisional Officer & Sub Divisional
Magistrate, Hindoli